यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन खंड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालयअधिशासी अभियंता,अनुसंधान एवं नियोजन खंड,देहरादूनके माह08/2014से 11/2020के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीश्री एस एस राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा संदीप चौधरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ)द्वारा श्री हनुमान सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 03.12.2020 से 11.12.2020 तक संपादित किया गया।

भाग-I

1). परिचयात्मकःकार्यालय अधिशासी अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन खंड, देहरादूनके लेखा अभिलखों की विगत लेखापरीक्षा सर्व श्रीराघवेन्द्रसिंह, सर्व श्री सुनीलदत्त,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.08.2014 से 21.08.2018 तकश्रीआर0एस0 नेगी-II सम्प्रेक्षाअधिकारीकेपूर्णकालिकपर्यवेक्षण में संपादित की गयी, जिसमे माह 05/2013 से 07/2014 तक की अवधि के लेखा अभिलेखों का संप्रेक्षण किया गया था।

2).(i).इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रःकार्यालयअधिशासी अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन खंड, देहरादूनद्वारा इकाई के अंदर आनेवाली कालोनी का मरम्मत कार्य, देवी आपदा निक्षेप से संबन्धित कार्य संपादित किए जाते हैं। कार्यालयअधिशासी अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन खंड, देहरादूनका कार्यक्षेत्र समस्तउत्तराखंड है।

ii). (अ).विगत वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिकअवशेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर–स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य	बचत	आधिक्य	बचत
2014–15		0.00	672.77	633.78	136.70	112.27		38.99		24.43
2015–16		0.00	636.66	605.92	154.06	131.29		30.74		22.77
2016–17		1.67	736.72	631.77	1112.41	102.82		104.95		84.19
2017–18		84.19	902.75	875.78	1227.67	1130.07		26.96		97.60
2018–19		92.90	861.28	838.79	3078.71	1900.22		22.50		1178.48
2019–20		31.48	813.64	794.84	2002.96	1186.77		18.80		816.19
2020–21(11/2020 तक)		31.48	604.19	596.50	589.49	235.97		7.69		353.52

iiiकार्यालयअधिशासी अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन खंड, देहरादूनको प्रमुख अभियंता (बजट अनुभाग) सिचाई अनुभाग एवं डीसीएल एवं निक्षेप कार्यों के माधायम से प्राप्त होती है । प्रश्नगत इकाईसंपादित कार्यों एवं स्वीकृत कार्यों के आधार पर 'सी' श्रेणीकी है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. प्रमुख सचिव
2. प्रमुख अभियंता
3. मुख्य अभियन्ता
4अधीक्षण अभियन्ता
5.अधिशासी अभियन्ता

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिःवर्तमान लेखापरीक्षा माह12/2018से 08/2020तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालयअधिशासी अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन खंड, देहरादूनके लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर तैयार की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालयअधिशासी अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन खंड, देहरादूनकी लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। अधिकतम व्यय के आधार माह03/2018 03/2019एवं 03/2020को विस्तृत जांच हेतु तथा अधिकतम प्राप्ति के आधार पर 01/2017 02/2019 एवं 02/2020माह को विस्तृत जांच के लिए नमूना माह के रूप मे चयनित किया गया।

v).लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा15लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर 1:- रु 123.38 लाख के भुगतान को जीएसटी प्रविधानों के अंतर्गत न किया जाना।

शासनादेश दिनांक 5 सितंबर, 2017 के अनुसार दिनांक 30 जून, 2017 तक दाखिल मापपुस्तिका मे कर दायित्व वैट प्रणाली के अनुसार होना चाहिए तथा इसके उपरांत प्रस्तुत मापपुस्तिका में कर के दवित्व का निर्धारण जीएसटी के प्रविधानों के अनुसार होना चाहिये। जिसके अंतर्गत मदों में प्रयुक्त सामाग्री की दरों में 01 जुलाई, 2017 से पूर्व सम्मिलित समस्त करों की कटौती करते हुये भारत/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जीएसटी की दर जोड़ी जानी चाहिये।

इकाई में नाबार्ड योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में स्वीकृत की गयी योजनाओं की संवीक्षा में पाया गया कि पाँच[1] स्वीकृत एवं क्रियान्वित योजनाओं में मई-2015 से प्रभावित एसओआर की दरों के पर स्वीकृत आगणन के अनुसार अनुबंध किये गये थे एवं अनुबंध के अनुरूप कार्य को पूर्ण कर बिलों का भुगतान किया गया था। आगे इन बिलों के भुगतान में पाया गया कि तालिका-1 बिलो का भुगतान जुलाई-2017 अर्थात जीएसटी लागू होने के बाद किया गया था। इन बिलो के भुगतान में इकाई द्वारा आगणन के मदों की दरों को न तो पुनरीक्षित किया गया था और न ही जीएसटी को जोड़ते हुए भुगतान किया गया था। उक्त पांचों योजनाओं के अनुबंधों के अनुसार भुगतान का विवरण निम्न तालिका के अनुसार है:

तालिका-1

Name of Scheme	Agreement No.	Tendered Cost	Date of Start	Actual Completion	MB/Bill No.	Actual Payment
FPWof Gautamkundnala	10/AE-II/2017-18	402160.00	21.02.18	05.03.18	707(L)/146	400314.00
	13/AE-II/2017-18	437190.00	21.02.18	05.03.18	707(L)/145	448083.00
Flood Protection Work of Malaram Colony along Amwala Rao.	22/AE-V/2017-18	444708.00	20.01.18	10.03.18	821(L)	444200.00
	21/AE-V/2017-18	443500.00	20.01.18	10.03.18	821(L)	442991.00
	20/AE-V/2017-18	443760.00	20.01.18	10.03.18	821(L)	443406.00
	19/AE-V/2017-18	443259.00	04.12.17	09.01.18	821(L)	443277.00
	18/AE-V/2017-18	445095.00	04.12.17	09.01.18	821(L)	444186.00
	17/AE-V/2017-18	444755.00	04.12.17	07.01.18	821(L)	444546.00
	15/AE-V/2017-18	443507.00	04.12.17	02.01.18	821(L)	442554.00
	14/AE-V/2017-18	443664.00	04.12.17	02.01.18	821(L)	443365.00
FPW of Nagal Rao &Nalapani river for Somnathnagar, Nanurkhera and Sunderwala	28/AE-V/2017-18	489272.00	21.02.18	12.03.18	821(L)	497909.00
	27/AE-V/2017-18	489563.00	21.02.18	12.03.18	821(L)	499025.00
	26/AE-V/2017-18	489775.00	21.02.18	12.03.18	821(L)	497369.00
	25/AE-V/2017-18	488502.00	21.02.18	12.03.18	821(L)	499533.00
FPW of Dhullani river for sunderwala, Kidhuwala and Nehrugram	16/AE-V/2017-18	435570.00	04.12.17	02.02.18	105(L)	415138.00
Flood Protection Work of Baldi river for residential houses and agricultural land of KishanpuriBandawali and Khairiman Singh	45/AE-III/2017-18	448125.00	21.02.18	09.03.18	796(L)	446586.00
	46/AE-III/2017-18	447078.00	21.02.18	09.03.18	796(L)	446590.00
	47/AE-III/2017-18	447863.00	21.02.18	09.03.18	796(L)	446981.00
	49/AE-III/2017-18	447367.00	21.02.18	09.03.18	796(L)	447761.00
	50/AE-III/2017-18	302467.00	21.02.18	09.03.18	796(L)	315118.00
	51/AE-III/2017-18	302438.00	21.02.18	09.03.18	796(L)	312405.00
	37/AE-III/2017-18	446718.00	22.01.18	25.02.18	796(L)	443226.00
	38/AE-III/2017-18	444967.00	03.02.18	25.02.18	796(L)	442818.00
	39/AE-III/2017-18	446391.00	03.02.18	25.02.18	796(L)	447421.00
	40/AE-III/2017-18	445595.00	03.02.18	25.02.18	796(L)	448107.00
	41/AE-III/2017-18	444958.00	03.02.18	25.02.18	796(L)	448134.00
	42/AE-III/2017-18	444527.00	03.02.18	25.02.18	796(L)	442067.00
	43/AE-III/2017-18	444785.00	03.02.18	22.02.18	796(L)	444596.00
Total						**12337706.00**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि सभी अनुबंधों के कार्यों को जनवरीसे मार्च-2018 की तिथियों के मध्य मे मापपुस्तिका में दर्ज कर पूर्ण किया गया था जो जीएसटी के लागू हो जाने के बाद की अवधि है। इसप्रकार इस अवधि के 28 बिलों के रु 123.38 लाख के भुगतानों में न तो मदों में प्रयुक्त सामाग्री की दरों में पूर्व सम्मिलित समस्त करों की कटौती

[1] **1) नागलराव एवं नालापानी नदी से सोमनाथ नगर, ननूरखेड़ा और सुंदरवाला की बाढ़ सुरक्षा-रु 131.56 लाख 2) गौतम कुंड नाले से बाढ़ सुरक्षा रु 267.35 लाख 3) आमवाला राव नदी से मैलाराम कालोनी की बाढ़ सुरक्षा रु 112.46 लाख 4) सुंदरवाला, किद्दुवाला और नेहरुग्राम की दुलहनी नदी से बाढ़ सुरक्षा रु 174.62 लाख 5) किशनपुरी बंडावली और खैरीमानसिंह की कृषि भूमि और आवासीय भवन की बाल्दी नदी से बाढ़ सुरक्षा- 208.08 लाख.**

की गई थी और न ही भारत/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जीएसटी की दर को जोड़ा गया था। इसप्रकार कर के दायित्वों का निर्धारण जीएसटी के प्रविधानों के अनुसार नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के संबंध में पुछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि चूंकि अधिकांश अनुबंध पूर्व में ही गठित कर लिए गए थे। अतः शेष बचे कार्य भी शासन द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन में ली गयी दरों पर ही कार्य पूर्ण कराये गये है। योजनाओं में प्रस्तावित कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अंतर्गत पूर्ण कर लिए गये है। इकाई का उत्तर मान्य है कि अधिकांश अनुबंध पूर्व मे ही गठित कर लिये गये थे परंतु लेखापरीक्षा द्वारा तालिका में दिये गये उन अनुबंधों पर आपत्ति की गयी है जो पूर्व मे गठित नहीं थे बल्कि दिसंबर-2017 से फरवरी-2018 के मध्य गठित किए गये और इन अनुबंधों के कार्यों में माप जनवरी से मार्च-2018 के मध्य की गयी। इसप्रकार कर के दवित्व का निर्धारण जीएसटी के प्रविधानों के अनुसार किया जाना चाहिये था।

अतः रु 123.38 लाख के भुगतान को जीएसटी प्रविधानों के अंतर्गत न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो "ब"

प्रस्तर 2:- रुपये 754385.50 की धनराशि विभिन्न ठेकादार के बिलों से न्यास निधि के रूप में न काटा जाना।

उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के संख्या 1763/VII-1/2017/8ख/16 देहरादून के दिनांक 17/11/2017 के अनुसार उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली-2017 बनायी गयी जो सम्पूर्ण प्रदेश में सभी प्रकार के खनिजों पर लागू होती है। उक्त नियमावली के बिन्दु संख्या 10 के उपसंख्या-02 के अनुसार:-

1- समस्त उपखनिज पट्टाधारक रॉयल्टी का 25 प्रतिशत रॉयल्टी के अतिरिक्त जमा करेंगे ।
2- सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली बालू बजरी पर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमाकिए जाने पर रॉयल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा किया जाएगा।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन खंड, देहरादून की रॉयल्टी संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा रॉयल्टी तो काटी जा रही थी लेकिन न्यास निधि नही काटी जा रही थी। जो कि 12/17 से 11/20 तक कुल काटी गयी रॉयल्टी ₹ 3017538 का 25 प्रतिशत ₹ 7543845.50 ठेकादार के बिलों से न्यास निधि के रूप में काटी जानी चाहिए थी।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाईद्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया कि शासनादेश का संज्ञान न होने के कारण उक्त कटौतियाँ नही की गयी हालांकि शासनादेश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वमेव पुष्टि होती है।

अतः ₹ 754385.50 की धनराशि विभिन्न ठेकादार के बिलों से न्यास निधि के रूप में न काटे जाने का मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर 3:- प्राक्कलनों में आकस्मिक व्यय रु. 0.94 लाख की राशि अधिक आकलित किया जाना।

उत्तराखण्डअधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 27 में प्रावधानित है कि "कार्यों के समूह को, जो एक परियोजना के ही भाग है, एक कार्य मानते हुए ही सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी, प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मात्र एक कार्य के लिए ली जाय। मात्र इसलिए कार्य के अलग-अलग टुकड़े न किए जायें कि उच्च स्तर से आवश्यक अनुमति न लेना पड़े।"

कार्यालय अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून के सौंग बांध निर्माण योजना से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि देहरादून एवं इसके उप-नगरीय क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति हेतु जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में सौंग नदी पर सौंग बांध निर्माण योजना के अंतर्गत लागत रु. 3960.00 लाख कीप्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक: 2486/प्र.अ./बजट/बी-1/आवंटन दिनांक 20 जून 2018 द्वारा प्रदान की गयी थी।

कार्यालय अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत exploratory drilling &Distructive Drilling work हेतु रु. 246.50 लाख तथा Topographical survey, Groutability test & Drifting हेतु रु. 200.64 लाख केप्राक्कलन तैयार किए गए जिनकी स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता,परियोजना मण्डल, देहरादून द्वारा प्रदान की गयी ।

इसके अतिरिक्त योजना के exploratory drilling &Distructive Drilling work के प्राक्कलन में abstractof cost के अनुसार कार्य की कुल लागत रु. 24166659.00 (12%जीएसटी सहित) पर 2% contingencyकी धनराशि रु. 483333.18 आगणित की गई है जबकि बिना जीएसटी के कार्य की कुल लागत रु 21577373.75 पर2% contingencyकी धनराशि रु.431547.47 आगणित की जानी चाहिएथी।इस प्रकार रु. 51785.70 (रु. 483333.18-रु. 431547.47) की contingencyकी धनराशि प्राक्कलन में अधिक आगणित की गई है।साथ ही योजना के Topographical survey, Groutability test & Drifting के प्राक्कलन में abstractof cost के अनुसार कार्य की कुल लागत रु. 19670848.00 (12%जीएसटी सहित) पर 2% contingencyकी धनराशि रु. 393416.96 आगणित की गई है जबकि बिना जीएसटी के कार्य की कुल लागत रु 17563257.14 पर2% contingencyकी धनराशि रु.351265.14 आगणित की जानी चाहिएथी।इस प्रकार रु. 42151.81(रु 393416.96 - रु. 351265.14) की contingencyकी धनराशि प्राक्कलन में अधिक आगणित की गई है। इस प्रकार उक्त दोनों प्राक्कलनों में contingencyकी कुल धनराशि रु.93937.51 (रु. 51785.70+ रु.351265.14) अधिक आगणित की गई है।

इस ओर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया गया प्राक्कलन के अंतर्गत वर्तमान तक कार्य कराये जा रहे है। अतः प्राक्कलन में GST में से contingencyहटाकर संशोधित आगणन की सीमा तक कार्य कराया जयेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि नदी तल पर अतिरिक्तप्राक्कलनों में contingencyकी अधिक धनराशि आगणित किया जाना इकाई द्वारा स्वतः ही स्वीकार किया गया।

अतः प्राक्कलनों में आकस्मिक व्यय रु. 0.94 लाख की राशि अधिक आकलित किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञानमें लाया जाता है।

संलग्नक-1

क्र. सं.	मद का नाम	अनुबंध संख्या	वास्तविक निष्पादित मात्रा	अनुबंधों में प्राप्त निम्नतम दर+ GST	गठित अनुबंध की दर	दरों में अंतर	अंतर की धनराशि	ठेकेदार/फ़र्म का नाम
1	Diamond Core Drilling of 50mm/NX	03/EE/ 2018-19	230	13700	13700	0	0	M/S Technical Consultancy Services, D.Dn.
2	Water Test at every 1.50m to 3m		60	3000	3000	0	0	
3	Mobilisation of Machine		1	100000	100000	0	0	
4	As per Sl.No. 1	04/EE/ 2018-19	253	13700	13700	0	0	M/S Technical Consultancy Services, D.Dn.
5	As per Sl.No. 2		59	3000	3000	0	0	
6	As per Sl.No. 3		1	100000	115000	15000	15000	
7	As per Sl.No. 1	05/EE/ 2018-19	183	13700	15250	1550	283650	M/S Technical Consultancy Services, D.Dn.
8	As per Sl.No. 2		59	3000	3000	0	0	
9	As per Sl.No. 3		1	100000	125000	25000	25000	
10	As per Sl.No. 1	06/EE/ 2018-19	108	13700	14500	800	86400	M/S Technical Consultancy Services, D.Dn.
11	As per Sl.No. 2		-	3000	-	0	0	
12	As per Sl.No. 3		1	100000	115000	15000	15000	
13	As per Sl.No. 1	07/EE/ 2018-19	100	13700	13700	0	0	M/S Technical Consultancy Services, D.Dn.
14	As per Sl.No. 2		-	3000	-		0	
15	As per Sl.No. 3		1	100000	175000	75000	75000	
योग							**500050.00**	

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-4: प्रतिभूति धनराशि रु. 9.82 लाखका विगत कई वर्षों से समायोजन न होना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VI के प्रस्तर 622 में प्रावधानित है कि "In the accounts for March each year, the following classes of items in the Public Works deposit account should be carried to the revenues of the State or the Central Government as lapsed deposits—
(i) original deposits for central work not exceeding one rupee and deposits for State works not exceeding five rupee, unclaimed for one whole account year.
(ii) balances not exceeding one rupee of items party cleared during the year then closing ;
(iii) balances unclaimed for more than three complete account year.
For the purpose of this rule the age of a repayable item, or of a balance of it to be reckoned as dating from the time when the item or the balance as the case may be, become first repayable."

अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन खंड, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि खण्ड के मासिक लेखे में Form-79-Schedule of Deposit के भाग-III व इकाई के जमा पंजिका के भाग-III में ठेकेदारो की प्रतिभूति धनराशि शीर्ष में रु. 982178.00 माह अक्टूबर 2016 से माह अक्टूबर 2020 तक लगातार असमायोजित पड़ी है। इससे पूर्व माह 09/2016 तक रु. 98974.00 की राशि अवशेष थी जिसे पूर्व लेखापरीक्षा में भी संज्ञान में लाया गया था। इकाई के पास उक्त धनराशि विगत चार वर्षो से अधिक समय से असमायोजित पड़ी है। उक्त नियम के आलोक में तीन वर्षों से अधिक अदावाकृत धनराशि व्यपगत राशि के रूप में राजकोष में जमा की जानी चाहिए थी जो इकाई द्वारा नहीं की गयी थी।
लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि इंगित प्रतिभूतियों की धनराशियाँ अन्य खण्डों के विघटित होने के फलस्वरूप परिलक्षित हो रही है, हालांकि उक्त परिलक्षित धनराशि के समायोजन का प्रयास किया जाएगा।
इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है एवं उत्तर इसलिए भी मान्य नहीं है कि धनराशि के 03 वर्षों से अधिक अदावाकृत रहने पर उक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में अदावाकृत धनराशि को शासकीय खाते में जमा किया जाना चाहिए था।

अतः प्रतिभूति धनराशि रु. 982178.00 का समायोजन न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर 5:- शासनादेश के अनुसार रु.0.68 लाख की लाइसेन्स फीस (HRR) की कटौती नहीं किया जाना।

शासनादेश संख्या 57(1)/XXVII/18-50(14)/2017 दिनांक 15 फरवरी, 2019 के अनुसार फ्लैट रेंट (HRR/लाइसेन्स फीस) की दरें फरवरी 2019 से दोगुनी कर दी गयी थी।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई में कार्यरत कर्मचारी श्री मोहर सिंह नेगी, श्री बालम सिंह, श्री विरेन्द्र सिंह, श्री सत्या प्रसाद, श्री गिरिराज नौटियाल, श्री राजेश कुमार भट्ट, श्री दरमियान सिंह (पम्प ऑपरेटर), श्रीमती चंदा देवी के वेतन से उक्त शासनादेश एवं यमुना कॉलोनी (देहरादून) स्थित सिंचाई विभाग की आवासीय कॉलोनी हेतु निर्धारित की समिति द्वारा निर्धारित की गयी दरों के अनुसार लाइसेन्स फीस (HRR) कटौती नहीं की जा रही थी। गणना करने पर पाया गया कि नियमानुसार HRR की कटौती नहीं किए जाने के कारण उक्त कर्मचारियों को कुल रु. 68090/- का अधिक भुगतान किया गया।

विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं..	नाम	आवास प्रकार	आवंटन	HRR(before 02/19)	HRR being deducted	Period in Months till 1/19	धनराशि
1	श्री मोहर सिंह नेगी	II	before 08/14	120	0	54	6480
2	श्री बालम सिंह	II	before 08/15	120	0	54	6480
3	श्री विरेन्द्र सिंह	II	before 08/16	120	0	54	6480
4	श्री सत्या प्रसाद	II	before 08/17	120	0	54	6480
5	श्री गिरिराज नौटियाल	IV	01.05.2018	370	120	9	2250
6	श्री राजेश कु. भट्ट	II	15.05.2018	120	70	8	400
7	श्री दरमियान सिंह	II	12.05.2014	120	70	54	2700
8	श्री चंदा देवी	II	16.08.2020	120	70	0	0
							31270

क्र.सं..	नाम	आवास प्रकार	आवंटन	HRR(from 02/19)	HRR being deducted	Period in Months till 11/20	धनराशि
1	श्री मोहर सिंह नेगी	II	before 08/14	240	0	22	5280
2	श्री बालम सिंह	II	before 08/15	240	0	22	5280
3	श्री विरेन्द्र सिंह	II	before 08/16	240	0	22	5280
4	श्री सत्या प्रसाद	II	before 08/17	240	0	22	5280
5	श्री गिरिराज नौटियाल	IV	01.05.2018	740	240	22	11000
6	श्री राजेश कु. भट्ट	II	15.05.2018	240	140	22	2200
7	श्री दरमियान सिंह	II	12.05.2014	240	140	22	2200
8	श्री चंदा देवी	II	16.08.2020	240	140	3	300
							36820

लेखापरीक्षा द्वारा इकाई को इस संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उक्त की पुष्टि की गयी एवं कहा गया कि उक्त कर्मचारियों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि आवासीय समिति द्वारा एवं उक्त शासनादेश के अनुसार उक्त कर्मचारियों के वेतन से HRR की कटौती नहीं की जा रही थी।

अत:रु.0.68लाख लाइसेन्स फीस (HRR) की कटौती नहीं किए जाने प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	**प्रस्तर संख्या**	
	भाग II `अ`	**भाग II `ब`**
132/86-89	2	-
103/95-96	-	4
171/96-97	-	3
114/99-2000	-	2
30/2001-02	1	-
95/2004-05	-	1
94/2006-07	1	-
24/2014-15	1	01,02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

प्रतिवेदनसंख्या	प्रस्तर 2A	प्रस्तर 2B	अभियुक्ति
132/86-89	2	-	विगत लेखा परीक्षा के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या अद्यतन कर शीघ्र ही महालेखाकर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाएगा।
103/95-96	-	4	
171/96-97	-	3	
114/99-2000	-	2	
30/2001-02	1	-	
95/2004-05	-	1	
94/2006-07	1	-	
24/2014-15	1	01,02	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालयअधिशासी अभियंता,अधिशासी अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन खंड, देहरादूनतथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

<u>अप्रस्तुत अभिलेख</u>: -।

2). सतत् अनियमितताएःशून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री चंद्रभान सिंह	अधिशासी अभियंता	16/02/2014 से 13/07/2016
श्री आरडी पंत	अधिशासी अभियंता	01/08/2016 से 14/09/2016
श्री धीरेंद्र सिंह कश्यप	अधिशासी अभियंता	15/09/2016 से 28/10/2016
श्री आरडी पंत	अधिशासी अभियंता	28/10/2017से 09/08/2019
श्री वी एस पोखरियाल	अधिशासी अभियंता	09.08.2019 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन खंड, देहरादूनको इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/एएमजी-I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,महालेखाकार भवन,कौलागढ़, देहरादून- 248195" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-I